an>

Title: Need to rescind the sections 78,79 and 80 of the Punjab Reorganization Act, 1966.

श्री धर्मवीर गांधी (पटियाला) : हमारा प्रदेश पंजाब, जिसका नाम ही पांच नदियों पर पड़ा है, आज कृषि और पीने योग्य पानी के गंभीर संकट से गुजर रहा है। हमारे प्रदेश का केवल 27 प्रतिशत क्षेत्र ही नहरी पानी द्वारा सिंचित होता है जबकि खेती को बाकी जल की पूर्ति 14.5 लाख ट्यूबवैलों द्वारा धरती की सबसे निचली सतह से पानी निकाल कर पूरी की जा रही है। पानी के इस घोर दोहन के कारण पंजाब रेगिस्तान बनने के कगार पर खड़ा है। पंजाब की इस दुर्दशा का कारण पंजाब के पुनर्गठन एक्ट की धारा 78, 79, 80 के अंतर्गत जल स्रोतों नदियों और जल विद्युत परियोजनाओं पर पंजाब के अधिकार छीन लेने और रिपेरियन कानूनों का घोर उल्लंघन होने के कारण हुआ है। मेरा अनुरोध है कि पंजाब के पुनर्गठन कानून की धारा को रद्द करके हमारे साथ न्याय किया जाये।